

अंतरराज्यीय जल वविाद

प्रलिमिंस के लयि:

[अंतरराज्यीय जल वविाद](#), [अंतरराज्यीय नदी जल वविाद \(ISRWD\) अधनियिम 1956](#), [महानदी जल वविाद न्यायाधकिरण](#), [महानदी](#)

मेन्स के लयि:

अंतरराज्यीय जल वविाद और समाधान

चरचा में क्यौं

ओडशिा ने [अंतरराज्यीय नदी जल वविाद \(ISRWD\) अधनियिम 1956](#) के तहत [जल शक्ति मंत्रालय](#) से शकियत की है जसिमें छत्तीसगढ़ पर गैर-मानसून मौसम में [महानदी](#) में जल छोड़कर [महानदी जल वविाद न्यायाधकिरण \(MWDT\)](#) को गुमराह करने का आरोप लगाया है।

- MWDT का गठन मार्च 2018 में कयिा गया था। न्यायाधकिरण को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दसिंबर 2025 तक अपनी रिपिरट प्रस्तुत करने के लयि कहा गया है।
- महानदी बेसनि जल आवंटन के संबंघ में ओडशिा और छत्तीसगढ़ के बीच कोई अंतरराज्यीय समझौता नहीं है।

ओडशिा की चतिा:

- छत्तीसगढ़ ने [कलमा बैराज](#) में 20 गेट खोले हैं, जसिसे गैर-मानसून मौसम के दौरान महानदी के नचिले जलग्रहण क्षेत्तर में 1,000-1,500 क्यूसेक जल बह रहा है।
- गैर-मानसून मौसम में छत्तीसगढ़ द्वारा जल छोड़ने की अनचिछा के कारण अकसर महानदी के नचिले जलग्रहण क्षेत्तर में पानी की अनुपलब्धता होती है।
 - यह रबी फसलों को भी प्रभावति करता है और ओडशिा में पेयजल की समस्या को भी बढ़ाता है।
- हालाँकि इस बार छत्तीसगढ़ ने बनिा कसिी सूचना के जल छोड़ दयिा है, जसिने महानदी के जल प्रबंधन पर चतिा जताई है।
 - मानसून के दौरान राज्य को ऊपरी जलग्रहण क्षेत्तर में बाढ़ का सामना करना पड़ा और इस प्रकार ओडशिा को बनिा सूचति कयि गेट खोल दयि जाते हैं।

भारत में अंतरराज्यीय नदी जल वविाद:

परचिय:

- अंतरराज्यीय नदी जल वविाद आज भारतीय संघ में सबसे वविादास्पद मुद्दों में से एक है।

● [कृषणा जल वविाद](#), [कावेरी जल वविाद](#) और [सतलुज यमुना लकि नहर](#) के हालयिा मामले इसके कुछ उदाहरण हैं।

- अब तक वभिनिन अंतरराज्यीय जल वविाद न्यायाधकिरणों का गठन कयिा गया है, लेकनि उनकी अपनी समस्याएँ थीं।

संवैधानकि प्रावधान:

- राज्य सूची की प्रवषिटि 17 जल से संबंघति है, अरथात् जल आपूर्ति, सचिाई, नहर, जल नकिसी, तटबंध, जल भंडारण और जल वदियुत।
- संघ सूची की प्रवषिटि 56 केंद्र सरकार को अंतरराज्यीय नदयिों और नदी घाटयिों के नयिमन एवं वकिस के लयि संसद द्वारा सार्वजनकि हति में उचति घोषति सीमा तक शक्ति प्रदान करती है।
- अनुच्छेद 262 के अनुसार, जल संबंघी वविादों के मामले में:

- संसद वधि द्वारा किसी अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नयितरण के संबंध में किसी भी विवाद या शकियत के न्यायनरिणयन के लयि प्रावधान कर सकती है ।
- संसद वधि द्वारा यह प्रावधान कर सकती है किन तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय उपरोक्त वर्णति किसी भी विवाद या शकियत के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा ।

अंतरराज्यीय नदी जल विवाद समाधान के लयि तंत्र:

■ अनुच्छेद 262 के अनुसार, संसद ने नमिनलखिति को अधनियमति कयि है:

- नदी बोर्ड अधनियम, 1956: इसने भारत सरकार को राज्य सरकारों के परामर्श से अंतरराज्यीय नदयिों और नदी घाटयिों के लयि बोर्ड स्थापति करने का अधिकार प्रदान कयि है । आज तक कोई नदी बोर्ड नहीं बनाया गया है ।
- अंतरराज्यीय जल विवाद अधनियम, 1956: यद कोई वशिष राज्य अथवा राज्यों का समूह अधिकरण के गठन के लयि केंद्र से संपर्क करते हैं तो केंद्र सरकार को संबद्ध राज्यों के बीच परामर्श करके मामले को हल करने का प्रयास करना चाहयि । यद यह काम नहीं करता है तो केंद्र सरकार इस न्यायाधिकरण का गठन कर सकती है ।
- नोट: सर्वोच्च न्यायालय अधिकरण द्वारा दयि गए फॉर्मूले पर सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन वह अधिकरण के कामकाज पर सवाल खड़े कर सकता है ।

■ सरकारयि आयोग की प्रमुख सफिरशिों को शामिल करने के लयि अंतरराज्यीय जल विवाद अधनियम, 1956 को वर्ष 2002 में संशोधति कयि गया थ ।

- इन संशोधनों के बाद से जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना के लयि एक वर्ष की समय-सीमा और नरिणय देने के लयि 3 वर्ष की समय-सीमा को अनविर्य हो गया ।

WATER LAWS AND BATTLES

● No national (unified) law |

Many countries like Israel, South Africa and Australia have national water laws

● Primarily, water is a 'State' subject in India | States free to deal with issues of water supply, irrigation and canals, and drainage embankments in their own way

● Centre can only regulate, develop inter-state rivers

● Absence of concrete regulatory regime leads to mismanagement of water resources

● Centre, however, assists states in conservation, river cleaning, building infra

● Centre can also deal with issue under Environment (Protection) Act, 1986 and Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974

Five tribunals are hearing river water disputes

Ravi-Beas |
Punjab,
Haryana &
Rajasthan

Mahanadi |
Odisha, C'garh

Mahadayi |
Goa, Karnataka
& Maharashtra

Vansadhara |
Andhra Pradesh
& Odisha

Krishna | Maha, K'taka, T'gana, AP

For Cauvery, a tribunal has issued a final award and Centre has set up a panel for release of water as per orders. However, the two states still have differences on several counts

//

अंतरराज्यीय जल विवाद प्राधिकरण के मुद्दे:

- लंबे समय तक चलने वाली कार्यवाही और विवाद समाधान में अत्यधिक देरी । भारत में गोदावरी और कावेरी जैसे जल विवाद के समाधान में काफी देरी हुई है ।

- इन कार्यवाहियों को परभाषति करने वाले संस्थागत ढाँचे और दशा-नरिदेशों एवं अनुपालन सुनश्चितता में अस्पष्टता ।
- प्राधकिरण की संरचना बहुआयामी नहीं है, इसमें केवल न्यायपालिका के लोग शामिल हैं ।
- सभी पक्षों के लिये स्वीकार्य जल संबंधी आँकड़ों का न होने से वर्तमान में अधनिरिणय के लिये एक आधार रेखा स्थापति करना मुश्कलि हो जाता है ।
- जल और राजनीत के बीच बढ़ते गठजोड ने इन वविदाँ को वोट बैंक की राजनीत में बदल दया है ।

○ इस राजनीतकिरण के कारण राज्यों द्वारा बढ़ती अवहेलना, वसितारति मुकदमों और समाधान तंत्र प्रभावहीन हो गए हैं ।

जल वविदाँ के समाधान संबंधी उपाय:

- अंतरराज्यीय जल वविदाँ को अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नरिमति अंतरराज्यीय परिषद के तहत लाना, साथ ही आम सहमति आधारति नरिणय लेने की आवश्यकता है ।
- राज्यों को प्रत्येक क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता और जल संचयन एवं जल पुनर्भरण हेतु प्रेरति कया जाना चाहयि ताकनिदी के जल तथा स्वस्थ जल स्रोत की मांग को कम कया जा सके ।
- संघीय, नदी बेसनि, राज्य और ज़िला स्तरों पर वैज्ञानिकि आधार पर भूजल एवं सतही जल का प्रबंधन करने तथा जल प्रबंधन व संरक्षण हेतु तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये एकल एजेंसी की आवश्यकता है ।
- अधकिरण फास्ट ट्रैक एवं तकनीकी रूप से युक्त होना चाहयि, साथ ही समयबद्ध तरीके से नरिणय लागू करने योग्य तंत्र भी होना चाहयि ।
- उचति नरिणय लेने हेतु जल डेटा का एक केंद्रीय भंडार आवश्यक है । केंद्र सरकार के लिये यह महत्त्वपूर्ण है कविह अंतरराज्यीय जल वविदाँ को सुलझाने में अधकि सक्रयि भूमिका नभिए ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. अंतर-राज्यीय जल वविदाँ का समाधान करने में सांघिकि प्रक्रियाएँ समस्याओं को संबोधति करने व हल करने असफल रही हैं । क्या यह असफलता संरचनात्मक अथवा प्रक्रयात्मक अपर्याप्तता अथवा दोनों के कारण हुई है? चर्चा कीजयि । (मुख्य परीक्षा, 2013)

स्रोत: द हद्वि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/inter-state-water-dispute>

